

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्रह'

[ 7/12/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 1070 ]

प्रपत्र -I

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-111/2011/2/34

भोपाल, दिनांक

21 AUG 2012

प्रति:

- 1- प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 2- प्रबंध संचालक,  
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित,  
भोपाल।

विषय:- नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में नीति का निर्धारण।

राज्य शासन एतद् द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति का निर्धारण किया जाता है:-

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना के संचालन एवं संधारण तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. समूह नलजल प्रदाय योजनाओं में अंशदान की राशि योजना लागत के प्रतिशत के रूप में न ली जाकर सभी परिवारों की वहन क्षमता के आधार पर हुए निर्धारण के अनुसार जमा करनी होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जी.सी. चौधरी)

उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 21 AUG 2012

पृ.क्रमांक एफ 16-111/2011/2/34

प्रतिलिपि:-


- 1- समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग -----परिक्षेत्र -----
  - 2- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल/परियोजना मण्डल-----
  - 3- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परियोजना खंड-----
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1070 अतारंकित प्रश्नकर्ता श्रीमती नंदनी मरावी  
प्रश्नांकित अवधि में नलजल योजना आरंभ किये जाने हेतु  
प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत एवं विचाराधीन प्रस्तावों की जानकारी

क्र०	जिला	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	प्रस्ताव की स्थिति (स्वीकृत/अस्वीकृत/ विचाराधीन)	टिप्पणी
1	जबलपुर	कुण्डम	अमझर	स्वीकृत	--
2	जबलपुर	कुण्डम	पडरिया गांगई	स्वीकृत	--
3	जबलपुर	कुण्डम	खुखुम	स्वीकृत	--
4	जबलपुर	सिहोरा	ढकरवाह	अस्वीकृत	योजना अंतर्गत अंशदान प्राप्त न होने एवं भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।
5	जबलपुर	सिहोरा	तिघरा	अस्वीकृत	-तदैव-
6	जबलपुर	सिहोरा	कुशयारी	अस्वीकृत	-तदैव-
7	जबलपुर	सिहोरा	कुन्हीखुर्द	अस्वीकृत	-तदैव-
8	जबलपुर	सिहोरा	खम्हरिया	अस्वीकृत	-तदैव-
9	जबलपुर	सिहोरा	छीटी	अस्वीकृत	-तदैव-
10	जबलपुर	सिहोरा	जौली	अस्वीकृत	-तदैव-
11	जबलपुर	कुण्डम	बडखेरा	अस्वीकृत	-तदैव-
12	जबलपुर	कुण्डम	सानीपुर	अस्वीकृत	भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।
13	जबलपुर	कुण्डम	तौरी	अस्वीकृत	भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।
14	जबलपुर	कुण्डम	कुडे हरदुली	अस्वीकृत	भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।
15	जबलपुर	कुण्डम	महगवा	अस्वीकृत	भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।
16	जबलपुर	कुण्डम	इगलई	अस्वीकृत	योजना अंतर्गत अंशदान प्राप्त न होने एवं भारत सरकार के पत्र क्र. डब्ल्यू 11041/9 /2015 वाटर-1 दिनांक 29 जून 2015 से नवीन नलजल प्रदाय की स्वीकृति पर प्रतिबंध होने के कारण।

  
सहायक सचिव  
कार्यालय प्रमुख अतिरिक्त  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
घोपाल

  
कार्यपालक सचिव  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड  
जबलपुर